न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 04 / 2023

उनवान

1. श्री माधुसिंह पिता पदमसिंह जी राजपुत उम्र बालिग जाति राजपुत निवासी डाल नामचोत तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री ईश्वरसिंह पिता माधुसिंह जी राजपुत उम्र बालिग
2. श्रीमती कमला बाई पत्नि माधुसिंह जी राजपुत उम्र बालिग
3. श्रीमती केसर बाई पुत्री माधुसिंह जी राजपुत उम्र बालिग
4. श्रीमती जशोदा बाई पुत्री माधुसिंह जी राजपुत उम्र बालिग
5. श्री भंवरसिंह पिता माुधसिंह जी रापजुत उम्र बालिग
6. राज्य जरिये तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर
7. ग्राम पंचायत डाल जरिये सचिव महोदय, ग्राम पंचायत डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध ना.स. 317, 1024 निर्णय दिनांक 05—09—2019 बाबत

—::निर्णय::—

दिनांकः—06.02.2024

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत — अपीलाण्ट्
भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर —रेपोडेन्ट् सं. 6
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 व 7 एक पक्षीय

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामान्तरण संख्या—317, 1024 फैसल दिनांक 05—09—2019 ग्राम पंचायत डाल, पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता एक ही गांव डाल नामचोत के निवासी होकर उपर्युक्त दोनो की कृषि भूमि डाल में स्थित है। जिसका वर्णन अपील की कलम संख्या 1 अनुसार मौजा नामचोत पटवार हल्का डाल की खाता संख्या 216, खाता संख्या 252, खाता संख्या 209 व खाता संख्या 218 कुल किता 73 कुल रकबा 12.18 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर अपीलान्ट वर्षो से अपने उक्त पैतृक कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहा है। परन्तु दिनांक 17—02—2019 को उसी गांव मे रहने वाले माधुसिंह पिता पदमसिंह की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम एक समान व उनके पिता का नाम भी एक ही होने की वजह से ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों के गलतफहमी के चलते पंचायत में नामान्तरण संख्या 317, 1024 दिनांक 05—09—2019 को उक्त नामान्तरण मृतक माधुसिंह पिता पदमसिंह के वारिसों के नाम से खोल दिया गया, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी मुझ अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति होकर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मेरी पैतृक कृषि भूमि का नामान्तरण नहीं खोला जाना था। उक्त गलतफहमी व गफलत के चलते वर्तमान में मुझ अपीलान्ट की कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने से अपीलान्ट को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा उक्त कृषि भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित होने से इसका निश्चित ही दुरूपयोंग करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक जांच किये व तथ्यों का अध्ययन किये बिना जो उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पारित किये गये है वह अविधिक होकर प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत डाल के निर्णय दिनांक 05–09–2019 के नामान्तरण को निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज कर यथावत रखावे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को पेश कर अंकित किया कि कि मौजा डाल पटवार हल्का डाल तह. सलूम्बर में स्थित खाता संख्या 216, 217, 218, 252 की कृषि भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर अपीलान्ट वर्षो से अपने उक्त पैतृक कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहा है। परन्तु दिनांक 17–02–2019 को उसी गांव मे रहने वाले माधुसिंह पिता पदमसिंह की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम एक समान व उनके पिता का नाम भी एक ही होने की वजह से ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों के गलतफहमी के चलते पंचायत में नामान्तरण संख्या 317, 1024 दिनांक 05–09–2019 को उक्त नामान्तरण मृतक माधुसिंह पिता पदमसिंह के वारिसों के नाम से खोल दिया गया, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी पदमसिंह के वारिसों के नाम से खोल दिया गया, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी मुझ अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति होकर मेरी पैतृक कृषि भूमि का नामान्तरण नहीं खोला जाना था। उक्त गलतफहमी व गफलत के चलते वर्तमान में मुझ अपीलान्ट की कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने से अपीलान्ट को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा उक्त कृषि भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित होने से इसका निश्चित ही दुरूपयोंग करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यह कि अपीलान्ट द्वारा जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर यह ज्ञान हुआ कि उक्त कलम संख्या दो में वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं होकर रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की जानकारी हुई तो अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी किये विधिक सलाह लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसमें अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर समय सीमा की देरी को क्षम्य कराने का आदेश फरमाया जावे।

अपील जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलवी हेतु नोटिस / समन जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 7 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 6 तहसीलदार सलुम्बर की ओर से जवाब पेश किया गया की रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा डाल एवं नामचोत के खाता संख्या 210, 252, 244, 209, 217, 208, 216, 218 में माधुसिंह पिता पदमसिंह राजपुत के नाम से दर्ज था माधुसिंह पिता पदमसिंह राजपुत के नाम के एक ही गाव में दो व्यक्ति होने से सहवन से नमान्तरकरण दर्ज हो गया है। जो ग्राम पंचायत डाल ने स्वीकार कर लिया है जो निरस्त करना उचित है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के जवाब के आधार

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलुम्बर

बजरियेः– श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस.

अपील संख्या–04 / 2023

उनवान–श्री माधुसिंह बनाम श्री ईश्वरसिंह

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट.

पर ग्राम नामचोत पटवार मण्डल डाल नामान्तरण संख्या 317 व ग्राम डाल पटवार मण्डल डाल नामान्तरकरण संख्या 1024 फैसल दिनांक 05–09–2019 त्रुटी पूर्ण होना पाया गया।

–::आदेश::–

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम नामचोत पटवार मण्डल डाल द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 317 व ग्राम डाल पटवार मण्डल डाल द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1024 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के खाते की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे अपीलार्थी के पक्ष मे यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर